

136

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

नियारानी 1136-PBR-15

पुनरीक्षण क. / 14-15

1. शिव कुमार शर्मा, आयु लगभग 66 वर्ष,
पुत्र स्व. श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,
2. रवि कुमार शर्मा, आयु वयस्क, पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा,
3. मोहन शर्मा, आयु वयस्क,
पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,
4. राजीव शर्मा, आयु वयस्क, पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा, 5/8, पारसी मोहल्ला, इन्दौर, म.प्र.
द्वारा - मुख्यतया आम श्रीमती सुशीला शर्मा,
पत्नी श्री शिवकुमार शर्मा,
सभी निवासीगण जी-3, 353, 354, गुलमोहर कॉलोनी, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.

आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती कमलेश शर्मा, आयु वयस्क,
पत्नी श्री बी.एस. शर्मा,
2. प्रमोद कुमार चंसोरिया, आयु वयस्क
पुत्र श्री मैथली शरण शर्मा,
दोनों निवासीगण मकान नंबर एच-1/173, अरविन्द बिहार,
बाग मुंगालिया, भोपाल, म.प्र.

अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा.संहिता-1959

पुनरीक्षणकर्तागण मा. अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक वृत्त-3, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा श्रीमती कमलेश शर्मा व अन्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दर्ज किये गये प्र. क. 46/अ-12/14-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20.03.15 वं इस आदेश के आधार पर मौके पर कराई गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 08.04.15 एवं उसके आधार पर पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.04.15 से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :-

R-1136PBR/15

28.11.2016


आवेदकगण की ओर से श्री राजेश
शेटी आयोगाध्यक्ष ने उपस्थित होकर
'प्रकरण नही' चढ़ाने का झुठोटा किया
जया। झुठोटा खीकार किया जाता है।
प्रकरण नही चढ़ाने के कारण समाप्त किया
जाता है।

NOT ~~प्रकरण~~

OR

~~प्रकरण~~
आवेदक

आगे नही च
खाहता।


28/11/16

[क. प. उ.]